Hindustan Patna 18-10.pdf

# वारंट तामिला करने का आदेश

■ रेरा अध्यक्ष एवं सदस्य ने सुनवाई कर दिए निर्देश

पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो। पाटलीग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। बिहार रेरा ने पटना एसएसपी को आदेश दिया है कि पाटलीग्राम बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट का तामिला कराएं। रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह एवं सदस्य एसडी झा की खंडपीठ ने गुरुवार को सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया।

खंडपीठ ने कहा कि ऐसा इसलिए ताकि निदेशकों प्रभात कुमार रंजन और प्रिया कुमारी को अगली सुनवाई की तारीख 21 नवंबर 2024 को पेश किया जा सके। इससे पहले गुरुवार को सुनवाई के दौरान बिल्डर के वकील ने आदेश के अनुपालन के लिए फिर से समय मांगा। जिसे बेंच ने ठुकरा दिया और पटना एसएसपी को रिमाइंडर जारी करने का निर्देश दिया। यह वाद रेणु देवी और वीरेंद्र सिंह द्वारा दायर किया गया था। परियोजना पूरी न करने के कारण उन्होंने प्रमोटर को 16 लाख किये गए भुगतान को सूद सहित वापस मांगा था। इस मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश खंडपीठ ने 14 अगस्त 2024 को दिया था। इससे पहले 2023 के आदेश में प्रमोटर को शिकायतकर्ताओं को ब्याज सहित राशि वापस करने का निर्देश दिया था।